BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 594/2024

News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW AS RESPONDENT NO- 05,IN COMPLIANCE WITH THE HON'BLE NGT ORDER DATED 20-10-2024, ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT	1-9
2.	A TRUE COPY OF LAND USE LAND COVER MAP FOR DISTRICT LUCKNOW IS ANNEXED HERE AS **ANNEXURE 1**	11
3.	A TRUE COPY OF RAINFALL DATA FOR DISTRICT LUCKNOW IS ATTACHED HERE AS **ANNEXURE - 2**	12
4.	A TRUE COPY OF DETAILS OF WATER CONSERVATION WORKS COMPLETED AND BEING DONE IN DISTRICT LUCKNOW IS ATTACHED HERE AS **ANNEXURE - 3**	13

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT LUCKNOW GOVT. OF INDIA

5.	A TRUE COPY OF INSTRUCTIONS ISSUED BY OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW IS ATTACHED HERE AS **ANNEXURE – 4.**	14-17
6.	A TRUE COPY OF INSTRUCTIONS ISSUED BY OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW FOR FORMATION OF STANDING COMMITTEES IS ATTACHED HERE AS **ANNEXURE – 5.**	18-20

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI
Standing Counsel for the State of UP.
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014
8800656660

NOTARY
ASHOK KUMAR DIXIT
Lucknow
District (U.P.)
Regd.No.
9473
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 594/2024

News Item titled “लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत” appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW AS RESPONDENT NO- 05, IN COMPLIANCE WITH THE HON’BLE NGT ORDER DATED 20-10-2024, ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. That this Action Taken Report is respectfully submitted by the answering respondent, in compliance with the hon’ble NGT order dated 20-10-2024, In view of the Original Application No 594/2024- News item titled “लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत” which was listed before the tribunal for hearing on date-24.05.2024. On the date of the hearing Hon’ble NGT has passed an order in which the effective portion of the order is as follows –

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT Lucknow District (U.P.) Regd.No. 9473 GOVT. OF INDIA

"2. The news item relates to the significant issue of ground water depletion in Lucknow, Uttar Pradesh. As per the article, ten years ago in the Azad Nagar of Geetapalli, ground water was found at 80 feet and which is presently at 240 feet, which denotes that the level has gone down by 160 feet. It states that failure of tube wells has resulted in water scarcity. The news item highlights the data from Jal Sansthan and Jal Nigam which shows that till ten years ago, the locations where tube wells had to be bored for just 80 to 100 feet, now require 220 to 240 feet deep tube wells. The news item further states that as soon as the summer started, tube wells failed in 38 areas in Lucknow. It states that as per the authorities of Jal Sansthan, hundreds of hand pumps have also dried up due to rapidly falling water level resulting in water crisis. The wrongful exploitation of water and negligence in the water conservation schemes is alleged as the primary reason for fall in the level of groundwater. The news item further criticizes the Municipal Corporation and Lucknow Development Authority (LDA) for having water harvesting schemes only on paper as these schemes have failed miserably. The apartments do not have sufficient facilities to store rain water, which is getting wasted by flowing into the drainage.

3. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms, especially the compliance of Environment Protection Act, 1986 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

4. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT LUCKNOW District (U.P.) Regd. No. 9473 GOVT. OF INDIA

"Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.

5. Hence, we implead the following as respondents in the matter: (1). Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary, Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010. (2). Central Pollution Control Board, through its Member Secretary, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi110032. (3). Lucknow Nagar Nigam, through its Commissioner, Triliknath Road, Lalbagh, Lucknow-226001, Uttar Pradesh. (4). Lucknow Development Authority, through its Secretary, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226010, Uttar Pradesh. (5). District Magistrate, Lucknow, Room No. 49, DM Office, Qaiserbagh, Lucknow 2260001, Uttar Pradesh. (6). Central Ground Water Authority, through its Chairman.

6. Issue notice to the above respondents for filing their response at least one week before the next date of hearing.

2. That it is respectfully submitted that for protecting, conserving, controlling & regulating groundwater to ensure sustainable management in district Lucknow, various departments viz. Lucknow Nagar Nigam, Lucknow Development Authority, Minor Irrigation, Groundwater, Horticulture, Agriculture department etc are engaged in multiple activities through different governmental schemes.
3. That concerned officers and experts from State Groundwater department have submitted to the undersigned following status regarding lowering of groundwater in Lucknow.

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT Lucknow District (U.P.) Regd. No. 9473 GOVT. OF INDIA

4. That further the water level lowering is combined effect of many parallel reasons prominent among them is rapid urbanization, abnormal variation in the rainfall across the years, illegal water extraction and others.

5. That the Land Use Land Cover (LULC) of district Lucknow derived from Sentinel imagery at 10m resolution for 2017 & 2024. The image shows that Built-up area of the district increased from 592 sq Km from 2017 to around 689 sq Km in 2024 i.e. around 16% increase in concrete area in 07 years. Similarly, the city had an area of 402 km^2 (155 square miles) until December 2019, when 88 villages were added to the municipal limits and the area increased to 631 km^2 (244 square miles) i.e. an increase of around 57% in the urban area. However, in the same image it is also to be highlighted that due to ongoing efforts regarding water conservation, water bodies coverage area increased from 17.29 Sq Km in 2017 to 20.52 Sq Km in 2024 i.e. increase of 14.6%. A true copy of land use land cover map for district lucknow is annexed here as **ANNEXURE 1.**

6. That the average annual rainfall for district is 879.8 mm, however from 2014 to 2023, for 6 out of 10 years, annual rainfall had been lower than the average annual rainfall. Annual rainfall was very high in year 2023 but if we compare with year 2019 for which actual rainfall was nearly equal to the average rainfall, it turns out that no of rainy days with more than 2mm rainfall in 2023 was 104 which was 109 for 2019. Thus, scanty rainfall at one hand and very high intensity rainfall spread over a short period of time has resulted in lesser recharge than actual recharge potential. Rainfall recharge is most important factor as far as groundwater is concerned which has been disturbed due to

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT Lucknow District U.P. Regd. No. 9413 GOVT. OF INDIA

ongoing climate change. A true copy of rainfall data for district lucknow is attached here as **ANNEXURE – 2.**

7. That as per Groundwater Estimation Report 2023 (joint exercise done by Central Groundwater board MoJS, GoI & Groundwater department UP), out of annual groundwater extraction of 48,460.16-hectare metre for District Lucknow, 29,879.96-hectare metre is for irrigation purposes,12,469.87-hectare metre is for domestic purposes and 6110.33-hectare metre for industrial and other purposes. Thus, agriculture and domestic use of groundwater accounts for over 87% of the annual groundwater extraction.

8. That as per the Groundwater Estimation Report 2023 the detailed groundwater scenario of district Lucknow is total Annual available extractible groundwater resource is 73489.54 ham whereas the total annual groundwater extraction of the district is 48460.16 ham from all sources (Domestic/irrigation/industrial users).

9. That it is respectfully submitted that as per the Groundwater Estimation Report 2023, the future availability of total groundwater resources for domestic purposes up to 2025 is 13872.83-hectare metres (ham) and after allocating the above GW resources for domestic purposes, the net freshwater availability for other uses will be 24854.34 ham.

10. That it is pertinent to mention here that the Jal Shakti Abhiyan-Catch the Rain campaign has been successfully implemented in the district for the conservation of groundwater resources since 2019. Also the details of water conservation works taken up by different departments in the past 3 years and targeted works for current year are being attached for kind reference. A true

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT Lucknow District (U.P.) Regd. No. 9473 GOVT. OF INDIA

copy of the 3 years and targeted works for current year is attached here as **ANNEXURE -3.**

11. That it is further mentioned here that the regulation of groundwater extraction was done by Central Ground Water Authority till 2020 for District Lucknow. in the district Lucknow under the Groundwater Management & Regulation Act 2019, District Groundwater management Council has been formed in 2020 under the chairmanship of District Magistrate and members from the concerned departments viz Groundwater, Minor irrigation, Agriculture, Irrigation, Industries, UP Pollution Control Board, Jal Nigam, LDA, Nagar Nigam, Horticulture and Forest departments. A task force has also been formed for the physical verifications/inspections. For the groundwater extraction, users avail the services of the act in terms of Registration of wells, grant of authorization (NoC).

12. That from 2020 onward provisions under the act has been widely publicised in the district through the means of public notices, meetings, etc as initial 2 years were the pandemic period.

13. That the instruction has been issued to all respective regulators of different type of users viz Lucknow Development Authority, Lucknow Nagar Nigam, UPPCB, Industrial development Authority, Medical, Tourism, Education department and others to mandatorily include groundwater extraction permission in their respective regulation and A true copy of instructions issued by office of district magistrate lucknow is attached here as **ANNEXURE – 4.**

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT Lucknow District (U.P.) Regd.No. 9473 GOVT. OF INDIA

14. That all 08 blocks of the district have been demarcated as Non-notified and Municipal area of Lucknow has been demarcated as notified under the Groundwater Management & Regulation Act 2019 by State Groundwater Management & Regulatory Authority from 2020 to 2024.

15. That till date 686 permissions have been granted under the regulation act in the district Lucknow. It's regular checks are being done for the compliance against the issued permissions by means of notices and physical inspection.

16. That till date by above compliance measures, an area of over 20 lac Sq metre has been made to be covered with rainwater harvesting techniques by the project proponent against the issued permissions.

17. That it is to be respectfully submitted Lucknow Development Authority (LDA) is enforcing mandatory roof top rainwater harvesting measure in all plots with area above 300 square meter as provisioned in Building By-laws 2008 (Amended in 2011/16) and at present LDA has successfully developed and implemented rainwater harvesting systems across a total area of 534247 sq metre. This includes various government buildings, offices, pvt & commercial establishments, group housing projects, parks & redevelopment of water bodies.

18. That Lucknow Nagar Nigam too has conserved/maintained successfully 7 ponds/amrit sarovars spanning a total area of 1,43,200 sq mtr and construction works on other 5 ponds/amrit sarovar spanning area of 1,41,510 sq mtr is in progress within city area for better groundwater management in the city area.

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT Lucknow District (U.P.) Regd. No. 9473 GOVT. OF INDIA

19. That for taking action against illegal extraction of groundwater, a joint team of Officers from UPPCB, CGWB & Groundwater department UP was constituted in the district as per order of Hon'ble tribunal in OA 438/2018.

20. That the team inspected 333 Nos. of units in the district and issued notices to the defaulter units, a total of 170 units were found to defaulter even after issuance of the notices, the joint committee assessed and imposed Environmental Compensation on these 170 units in May 2023. The amount assessed and imposed on these 170 illegal water extraction units in Rs 19.75 crore. But the matter on penalties imposed on these units is under appeal in Hon'ble Supreme Court of India with further stay on operations.

21. That apart from this, regular inspections are done physically to stop illegal groundwater extraction. Till date, operation of over 35 illegal groundwater extraction borewells have been closed in the city area, and this is a continuous exercise which is being done on a regular basis.

22. That for the purpose of monitoring the situation on illegal groundwater extraction and taking suitable action thereof, standing committees have been formed under the chairmanship of Additional City Magistrates with members being respective Zonal Officers of Lucknow Nagar Nigam & Lucknow Development Authority, Representative from Industries department & an expert member from Groundwater/Minor Irrigation/UPPCB and is attached here as **Annexure-5**.

NOTARY ASHOK KUMAR DIXIT Lucknow District (U.P.) Regd. No. 9478 GOVT. OF INDIA

23. The answering respondent respectfully assures this Hon'ble Tribunal of its continued cooperation and compliance with all its directives, thereby upholding the principles of environmental justice.

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI
Standing Counsel for the State of UP.
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014
8800656660

NOTARY
ASHOK KUMAR DIXIT
Lucknow
District (U.P.)
Regd. No. 9473
GOVT. OF INDIA

NOTARY
ASHOK KUMAR DIXIT
Lucknow
District (U.P.)
Regd. No. 9473
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 594/2024

News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024

AFFIDAVIT

Affidavit of Sh. Vishak G, aged about 37 years s/o Sh. S.V. Ganpathy Iyer, presently posted as District Magistrate-Lucknow, having office at Lucknow, Uttar Pradesh.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Lucknow on this 13th 14 day of February 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
ASHOK KUMAR DIXIT
Lucknow
District (U.P.)
Regd.No. 9473
GOVT. OF INDIA

Sworn and Verified before me.
ASHOK KUMAR DIXIT
Advocate & Notary
9839361342
14/2/25

Identify the deponent/Executant/Suraty who has/have signed/Put T.I. before me.

NOTARY
ASHOK KUMAR DIXIT
Lucknow
District (U.P.)
Regd.No. 9473
GOVT. OF INDIA

Annexure-1

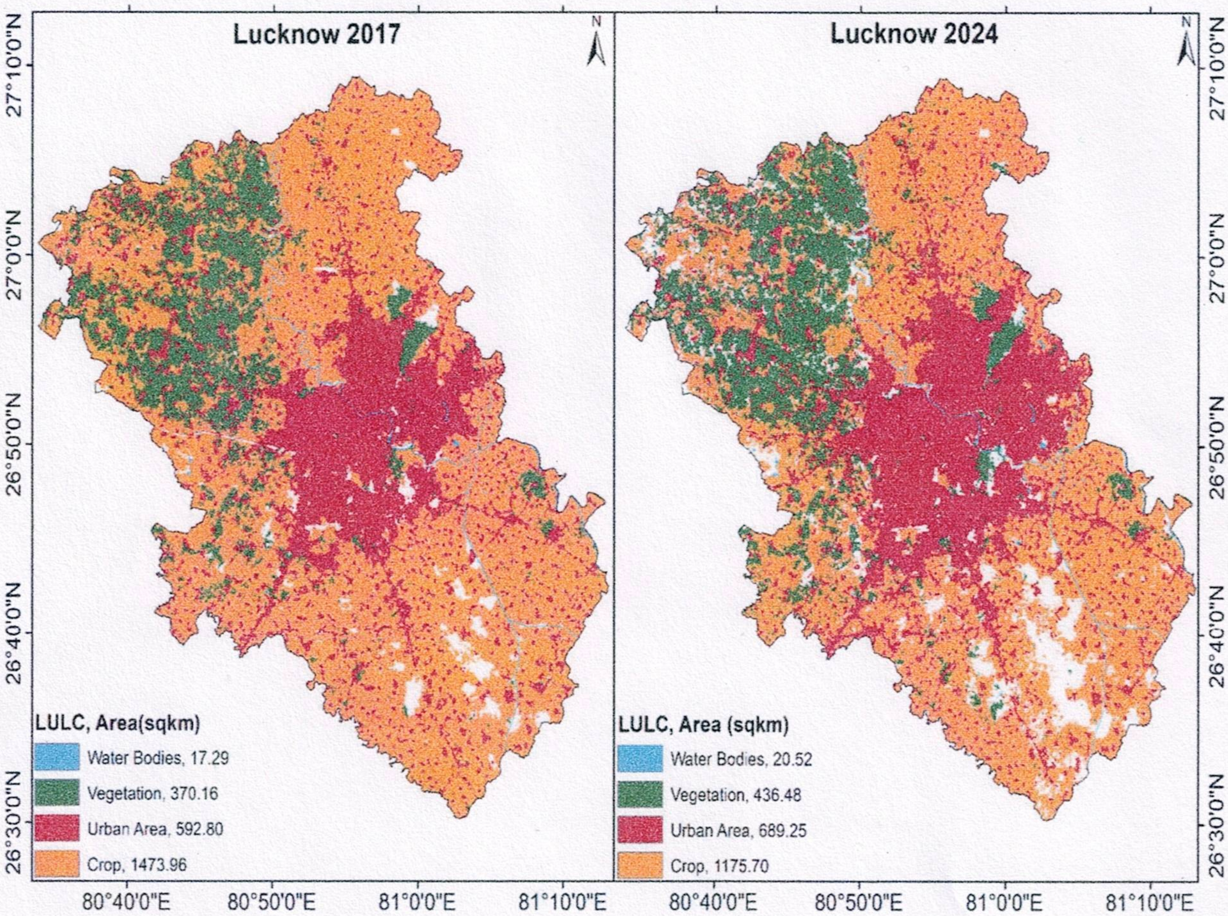

Source: Sentinal-2, resolution 10m X 10m

~~Annexure-2~~

Annexure - 2

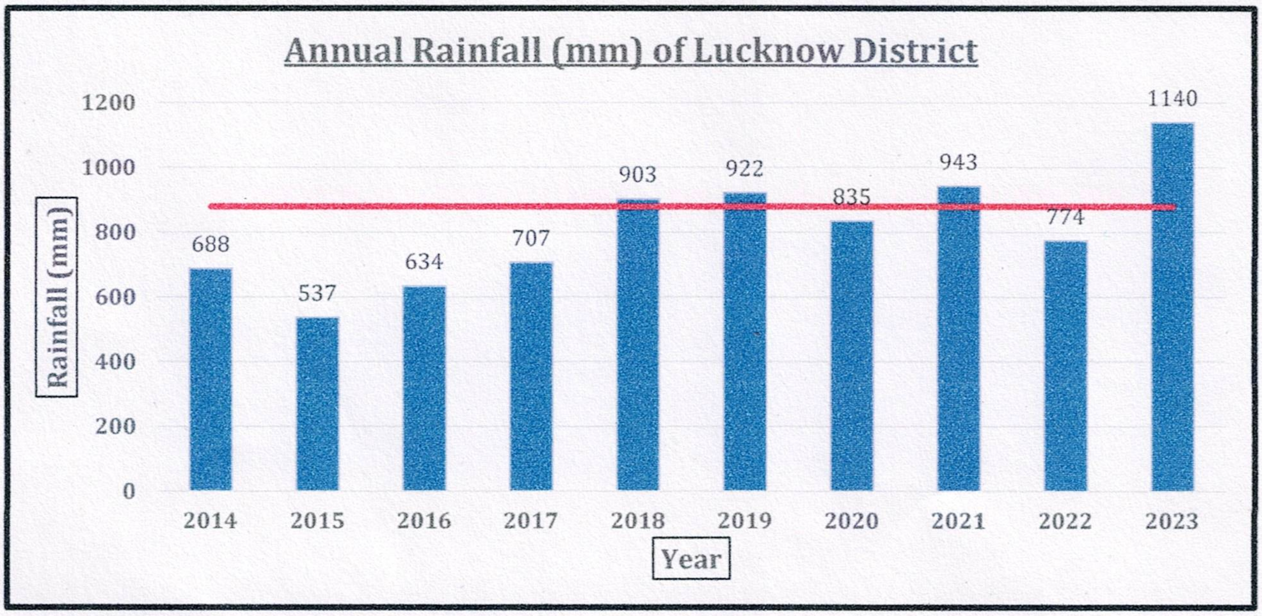

Year	No of rainy days
2014	98
2015	86
2016	106
2017	102
2018	94
2019	109
2020	138
2021	136
2022	103
2023	104

Annexure-3

DETAILS OF WATER CONSERVATION WORKS DONE IN THE DISTRICT IN PAST 3 YEARS & TARGETS FOR FY 2024-25						
Details of works	Unit	Department/ Scheme	Number of works done in Financial Year			Target for FY 2024-25
			2021-22	2022-23	2023-24	
Drought proofing works(no of sites)	No.	MGNREGA	1232	1362	1192	1239
Flood control C protection works	No.	MGNREGA	308	333	297	78
Micro-irrigation works	No.	MGNREGA	378	271	249	101
Renovation of traditional water bodies	No.	MGNREGA	49	62	38	6
Other water conservation C harvesting works	No.	MGNREGA	41	195	83	20
Watershed development works	Hectare	Agriculture	430.22	454.8	1001.17	3677
Khet Talabs	No.	Agriculture	9	3	2	49
Repair C Rejuvenation of checkdams	No.	Minor Irrigation	--	3	1	--
Installation of rooftop rainwater harvesting system	No.	Minor Irrigation	--	25	59	44
Afforestation works	Hectare	Forest	1003	746	390	620
Leach pits/soak pits	No.	Panchayati Raj	2576	4796	15261	15783
Rooftop rainwater harvesting installation	No.	Panchayati Raj	12	48	54	80

Annexure-4

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्रांक 662 /भू0ज0वि0ख0ल0/जिला परिषद/2024–25 दिनांक-28-10-2024

आवश्यक निर्देश

भूगर्भ जल का किसी भी न्याय संगत रूप में निष्कर्षण और उपयोग का प्रबन्धन तथा विनियमन करना और राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना लोकहित में समीचीन तथा आवश्यक है। अतः इसके नियोजन एवम् प्रबन्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019" प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 574/76—3—2020/10जीडब्लू/2014–भू0ज0प0 दिनांक 03 जुलाई, 2020 तथा 575/76–3–2020/10जीडब्लू/2014–भू0ज0प0 दिनांक 03 जुलाई, 2020 द्वारा जिले के प्रत्येक खण्ड एवम् नगरीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति एवम् नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति के गठन हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं। अधिनियम की धारा 06 (4) में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा उपरोक्त वर्णित भूगर्भ जल उप समितियों के साथ यथा आवश्यक समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद में भूगर्भ जल के प्रबन्धन और विनियमन के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण, आई0जी0आर0एस0 शिकायत इत्यादि के माध्यम से वांछित सूचनाओं का एकत्रीकरण कर अल्प अवधि में प्रस्तुत करना बाध्यकारी होता है। इस सम्बन्ध में प्रायः देखा जा रहा है कि जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से सम्बन्धित सूचनाओं का ही प्रेषण सम्भव हो पा रहा है क्योंकि अन्य समितियों द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों की समयबद्ध रूप से सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है।

इसके अतिरिक्त जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद में भी सम्बन्धित विभागों के पदेन अधिकारियों को सदस्य के रूप में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता एवम् उनके कार्यदायित्वों की समानता के आधार पर नामित किया गया था, जिससे उक्त विभागों द्वारा भी जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को भूजल के विनियमन और प्रबन्धन में सतत् सहयोग प्राप्त हो सके। अतएव जनपद के समग्र भूजल विकास, प्रबन्धन, संरक्षण और विनियमन हेतु निम्नवत् कार्यदायित्व निर्गत किए जाते हैं:–

- जनपद में विद्यमान शापिंग माल, वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक काम्प्लेक्स तथा बिल्डिंग एवम् विकास प्राधिकरण के दायरे में भूजल दोहन करने वाले सभी उपयोक्ताओं के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन अनुमति निर्गत करते समय अनिवार्य रूप से भूजल निष्कर्षण अनुमति प्राप्त

करने हेतु निर्देशित करना एवम् ऐसे संस्थान जिनके निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है, को भी उक्त अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित कर उनकी सूची संलग्न प्रारूप पर नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाहीः विकास प्राधिकरण, लखनऊ)

- नगर निगम से अनुमति प्राप्त ऐसे वाणिज्यिक संस्थान जिनके द्वारा भूजल निष्कर्षण किया जा रहा है, की सूची तत्काल नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 के प्राविधानानुसार रजिस्ट्रेशन/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेनु निर्देशित किया जाए।

(कार्यवाहीः नगर निगम, लखनऊ)

- जनपद में पंजीकृत ऐसी औद्योगिक इकाइयों, जिनके द्वारा भूजल निष्कर्षण किया जा रहा है, की सूची तत्काल नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 के प्राविधानानुसार रजिस्ट्रेशन /अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(कार्यवाहीः उपायुक्त–उद्योग/क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0ए0, लखनऊ)

- जनपद में विद्यमान विभिन्न वर्गीकृत श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत रजिस्टर्ड इकाई जिन्हें सी0टी0ई0/सी0टी0ओ0 निर्गत हुए है अथवा किए जा रहे है, को अनिवार्य रूप से भूजल निष्कर्षण हेतु नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर उसकी सूची तत्काल नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाहीः क्षेत्रीय अधिकारी–उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

- जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के नियंत्राणाधीन निजी चिकित्सालयों जिनके द्वारा भूजल निष्कर्षण किया जा रहा है, की सूची तत्काल नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध करते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 के प्राविधानानुसार रजिस्ट्रेशन/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(कार्यवाहीः मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ)

- जनपद में स्थापित निजी स्कूल/कालेज जिनके द्वारा भूजल निष्कर्षण किया जा रहा है, की सूची तत्काल नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 के प्राविधानानुसार रजिस्ट्रेशन

/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाए। आपके नियंत्रणाधीन ऐसे शासकीय /अर्द्धशासकीय भवनों की सूचना जिन पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना नही है, की सूचना भी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ)

- पर्यटन विभाग के नियंत्रणाधीन/विभाग में रजिस्टर्ड होटल इत्यादि की सूची नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 के प्राविधानानुसार रजिस्ट्रेशन/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित किया जाए।

(कार्यवाहीः संयुक्त निदेशक, पर्यटन, लखनऊ)

- जनपद के समस्त नगर पालिका/नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत जल संरक्षण एवम् भूजल प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए जा रहे क्रियाकलापों एवम् उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा–5 (4) के अनुसार निर्दिष्ट कार्यो के सम्बन्ध में माहवार सूचना नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाहीः समस्त अधिशासी अधिकारी/सदस्य सचिव नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति, लखनऊ)

- जनपद के समस्त विकास खण्ड/खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति द्वारा अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में जल संरक्षण एवम् भूजल प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए जा रहे क्रियाकलापों एवम् उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 अधिनियम की धारा–4(4) के अनुसार निर्दिष्ट कार्यो एवम् ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में धारा–3 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति की माहवार सूचना नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाहीः समस्त खण्ड विकास अधिकारी/सदस्य सचिव खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति, लखनऊ)

- आन–लाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु एवम् कम्प्लाइन्स की पूर्ति का भौतिक सत्यापन भी जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को पारस्परिक समन्वय स्थापित कर उक्त समिति को यथावश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(कार्यवाहीः समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, लखनऊ)

- संलग्न सार्वजनिक नोटिस को जनपद से प्रकाशित होने वाले समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए।

(कार्यवाहीः जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ)

- आन–लाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु समयबद्ध रूप से आवश्यक पत्रावली एवम् सूचनाएं, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को प्रस्तुत करना एवम् उपरोक्तानुसार निर्देशित कार्यो के सम्बन्ध में सम्बन्धित से प्राप्त सूचनाओं से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को अवगत कराया जाए।

(कार्यवाहीः नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, लखनऊ)

उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देशों के क्रम में समस्त सूचनाएं समयबद्ध रूप से अनिवार्यता ई–मेल gwactlucknow@gmail.com एवम् कार्यालय सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, नवम् तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सूर्यपाल गंगवार)
जिलाधिकारी/
अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल
प्रबन्धन परिषद, लखनऊ

पत्रांक 662 /भू0ज0वि0ख0ल0/जिला परिषद/2024–25 तद्दिनांक 28-10-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् अवलोकनार्थ प्रेषित हैः–

1. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव–राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, UPSIDA, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
6. जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक पर्यटन, लखनऊ।
9. समस्त सदस्य–जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, लखनऊ।
10. सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड–लखनऊ।

(सूर्यपाल गंगवार)
जिलाधिकारी/
अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल
प्रबन्धन परिषद, लखनऊ

Annexure-5

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्रांक /भू0ज0वि0ख0ल0/जिला परिषद/2024–25 दिनांक 10.2.2025

आदेश

भूगर्भ जल नियोजन एवम् प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019" प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है।

जनपद में भूगर्भ जल के प्रबन्धन और विनियमन के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित अनुश्रवण एवम् अवैध भूजल निष्कर्षण की रोकथाम के दृष्टिगत सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट के कार्य क्षेत्र के अनुसार निम्नानुसार स्थाई समितियों के गठन हेतु एतद्द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैः–

क्र0 सं0	समिति के सदस्यगण	पदनाम
1.	सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित जोनल अधिकारी, नगर निगम।	सदस्य
3.	सम्बन्धित जोनल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	सदस्य
4.	उपायुक्त उद्योग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
5.	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/भूगर्भ जल/लघु सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य सचिव

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(विशाख जी.)
जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्रांक 854 /भू0ज0वि0ख0ल0/जिला परिषद/2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, भूजल भवन, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इस आशय से कि सम्बन्धित जोनल अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस आशय से कि सम्बन्धित जोनल अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
5. समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
6. उपायुक्त, उद्योग/क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल/अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(विशाख जी.)
जिलाधिकारी, लखनऊ

जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 11–02–2025 को उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित स्थायी समितियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

1. बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।
2. बैठक के प्रारम्भ में सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 के विविध प्राविधानों, अधिकार एवम् दायित्व तथा अधिनियम के प्रस्तर–39 में उल्लिखित अपराध एवम् दण्ड, इत्यादि के प्राविधानों से अवगत कराया गया।
3. सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित वाद संख्या 594/2024 में जनपद में अवैध भूजल निष्कर्षण की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से प्रतिउत्तर/प्रतिशपथ पत्र मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में दाखिल किया जाना है।
4. अवगत कराया गया है कि वर्तमान तक आन–लाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा 687 अनापत्ति/पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किए गए है।
5. उक्त निर्गत प्रमाण पत्रों में उल्लिखित नियम व शर्तो के अनुपालन हेतु अनुपालन नोटिस निर्गत किए गए है, जिसके सापेक्ष औचक भौतिक निरीक्षण भी किया जा रहा है। वर्तमान तक विभिन्न अधिष्ठानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार लगभग 25 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल को रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली आच्छादित किया जा चुका है।
6. अवगत कराया गया कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 662/भू0ज0वि0ख0ल0/जिला परिषद/2024–25, दिनांक 28–10–2024 द्वारा सम्बन्धित विभागों यथा विकास प्राधिकरण, नगर निगम, उद्योग, यू0पी0पी0सी0बी0, चिकित्सा, पर्यटन, भूगर्भ जल विभाग तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत एवम् समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद–लखनऊ को निर्देश निर्गत किए गए है।
7. यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 854/ भू0ज0वि0ख0ल0/जिला परिषद/2024–25, दिनांक 10–02–2025 द्वारा जनपद में भूगर्भ जल प्रबन्धन एवम् विनियमन के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित अनुश्रवण एवम् अवैध भूजल निष्कर्षण की रोकथाम के दृष्टिगत सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट के कार्य क्षेत्र के अनुसार निम्नानुसार स्थायी समितियों का गठन भी किया गया है:–

क्र0 सं0	समिति के सदस्यगण	पदनाम
1.	सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित जोनल अधिकारी, नगर निगम।	सदस्य
3.	सम्बन्धित जोनल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	सदस्य
4.	उपायुक्त उद्योग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
5.	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/भूगर्भ जल/लघु सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य सचिव

8. जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों से उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुए निम्नवत् निर्देश दिए गए:–

- सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में किए जा रहे वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, इत्यादि उपयोग के भूजल निष्कर्षण का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। यदि नियम विरूद्ध परिस्थिति संज्ञान में आती है तो अधिनियम में वर्णित सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- भूगर्भ जल विभाग द्वारा वैध भूजल उपयोगकताओं की अद्यतन सूची से उपरोक्त समिति को नियमित अवगत कराया जाए।
- समिति द्वारा माह में की गयी समस्त कार्यवाही से भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देशों के क्रम में समस्त सूचनाएं समयबद्ध रूप से अनिवार्यता gwactlucknow@gmail.com **एवम् कार्यालय सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, नवम् तल इन्दिरा भवन, लखनऊ** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विशाख जी.)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद, लखनऊ

संख्याः 863(8) / मु0वि0अ0 / भू0ज0वि0ख0ल0 / 2024–25 दिनांक 11-02-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, भूगर्भ / सदस्य सचिव–राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण लखनऊ।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, लखनऊ।
3. समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
4. समस्त सदस्य–स्थायी समिति।
5. सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड–लखनऊ।

आज्ञा से,

(अजय जैन)
मुख्य विकास अधिकारी /
सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल
प्रबन्धन परिषद, लखनऊ